



# कार्यालय आवासीय अभियन्ता

## राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भीलवाडा

क्रमांक :

दिनांक:-

### भव्य नीलामी

भीलवाडा शहर में व्यावसायिक भूखण्डों एवं निर्मित आवासों (जहाँ है जैसे है) की मुहरबन्द नीलामी कार्यक्रम

<b>कॉलोनी का नाम</b>  चन्द्रशेखर आजाद नगर/शास्त्री नगर विस्तार/तिलक नगर/रीको/पटेल नगर/पटेल नगर विस्तार, भीलवाडा	<b>निविदा प्राप्त अधिकारी का पता एवं दूरभाष नम्बर</b>  आवासीय अभियन्ता खण्ड भीलवाडा सी-289/290, आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा। 01482-220312	<b>निविदा प्राप्त करने की दिनांक</b>  23-11-2015 से 08-12-2015.  सायं 2.00 बजे तक	<b>निविदा खोलने की दिनांक एवं समय</b>  08-12-2015  सायं 03.00 बजे
---	--	--	---

### व्यावसायिक भूखण्ड


क्र.सं.	कॉलोनी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग.मी. (प्रत्येक)	प्रस्तावित न्यूनतम बिड मूल्य दर रुपये प्रति वर्ग मी. (प्रत्येक)	निविदा के साथ देय न्यूनतम अमानत राशि रूपयो में (प्रत्येक)
1	चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा (कुल 06)	7/13, 7/14, 7/15, 7/17, 7/19, 7/20	18.00	37000.00	33300.00
2	चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा (कुल 09) (शोरूम भूखण्ड) सेक्टर-7 मेन रोड	7/SR-4 (Corner)	90.00	60000.00	270000.00
		7/SR-5, 7/SR-16 (Corner)	67.50	42000.00	141750.00
		7/SR-6, 7/SR-7, 7/SR-14, 7/SR-15	67.50	38000.00	128250.00
		7/SR-11	90.00	46000.00	207000.00
		7/SR-13 (Corner)	67.50	45000.00	151875.00

### निर्मित आवास (जहाँ है जैसे है)

क्र.सं.	कॉलोनी का नाम	आवास संख्या	आवास का क्षेत्रफल वर्ग.मी. (प्रत्येक)	प्रस्तावित न्यूनतम बिड मूल्य दर रुपये प्रति आवास	निविदा के साथ देय न्यूनतम अमानत राशि रूपयो में (प्रत्येक)
3	चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा (कुल 05)	3-H-3 (EWS)	42.75	600000.00	30000.00
		2-E-28 (LIG)	60.75	900000.00	45000.00
		5-I-25 (MIG-B Corner)	120.00	2000000.00	100000.00
		5-J-10 (HIG)	200.00	3000000.00	150000.00
		7-A-21 (HIG)	295.20	3900000.00	195000.00

क्र.सं.	कॉलोनी का नाम	आवास संख्या	आवास का क्षेत्रफल वर्ग.मी. (प्रत्येक)	प्रस्तावित न्यूनतम बिड मूल्य दर रुपये प्रति आवास	निविदा के साथ देय न्यूनतम अमानत राशि रूपयों में (प्रत्येक)
4	शास्त्री नगर विस्तार, भीलवाडा (कुल 01)	4-I-12 (LIG)	59.06	1100000.00	55000.00
5	तिलक नगर, भीलवाडा (कुल 01)	5-A-31 (HIG)	249.90	4000000.00	200000.00
4	रीको योजना, भीलवाडा (कुल 05)	3/5 (HIG)	210.00	4000000.00	200000.00
		3/11, 3/14, 3/15, 3/16 (HIG)	210.00	5000000.00	250000.00
5	पटेल नगर, भीलवाडा (कुल 02)	6-K-52 (MIG-B)	178.43	3000000.00	150000.00
		6-N-33 (MIG-B)	178.43	3300000.00	165000.00
6	पटेल नगर विस्तार, भीलवाडा (कुल 26)	1/94, 2/73, 2/96, 2/97, 2/101, 2/129, 2/135, 3/32, 3/34, 3/49, 3/55 (LIG)	72.00	1020000.00	51000.00
		2/86, 3/56 (LIG Corner)	72.00	1200000.00	60000.00
		1/104, 1/105 (MIG-A)	90.00	3000000.00	150000.00
		1/116, 1/118, 1/119, 1/122 (MIG-A)	90.00	2800000.00	140000.00
		1/120 (MIG-A Corner)	90.00	3000000.00	150000.00
		1/3 (HIG)	200.00	5200000.00	260000.00
		1/40, 1/42, 1/43, 1/44, 1/45 (HIG)	200.00	5600000.00	280000.00

1. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/ प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 2. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध भूखण्ड/ आवास हेतु मोहरबंद प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे। 3. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी। 4. अमानत राशि ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल भीलवाडा" के पक्ष में देय होंगे। 5. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घंटे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। 6. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी। 7. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं कराता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी। 8. यदि बोलीदाता समय पर राशि जमा नहीं कराता है तो ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद भूतलक्षी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी। 9. सीलबंद निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। 10. मोहरबंद निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थिति उन निविदा दाताओं से उसी दिन बंद लिफाफे में पुनः निविदा दर प्राप्त की जावेगी व उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जावेगा। 11. यदि किसी कंपनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी कंपनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/ कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12. निर्मित आवास जहां हैं, जैसे हैं की स्थिति में ही नीलाम किये जा रहे हैं तथा आवास केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिये जा सकेंगे। 13. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। 14. आवासीय भूखण्डों के मामले में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज राशि 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड की प्रचलित आरक्षित दर पर देय होगी। मण्डल की वेबसाइट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in)



आवासीय अभियंता

रा.आ.म.,खण्ड-भीलवाडा

फोन नं. 01482-220312

सम्पर्क सूत्र

उप आवासन आयुक्त

वृत्त-उदयपुर

फोन नं. 0294-2583327

## उद्घोषणा

मै/हम..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....  
बिडदाता आवासीय वाणिज्यिक भूखण्ड / संस्थानिक भूखण्ड / निर्मित आवास / निर्मित  
दुकान/निर्मित भवन संख्या ..... योजना का नाम .....  
सेक्टर ..... घोषणा करता/करते हूँ/है कि मैंने/हमने राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा  
उक्त नीलामी हेतु आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त नीलामी सम्बन्धी नियमों/विनियमों  
/शर्तों एवं उनमें समय-समय पर किये गये संशोधनों/संवर्द्धनों को भली-भांती समझ लिया है।

मै/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते है कि नीलामी समिति द्वारा मेरी/हमारी उच्चतम दर  
होने पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाने के परिणामस्वरूप, मुझे/हमें नीलामी स्वीकृती का कोई  
अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नीलामी बोली मण्डल के सक्षम स्तर से स्वीकृती  
नहीं कर दी जाती है एवं इस सम्बन्ध में, मै/हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं  
करूंगा/करूगी/करेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

## बिड प्रस्ताव

मै/हम आवासीय वाणिज्यिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/  
निर्मित भवन संख्या ..... योजना का नाम .....  
सेक्टर ..... के लिए अपनी/हमारी बिड दर रुपये (अंको में) .....  
(शब्दों में रुपये .....) प्रति वर्गमी०/प्रति आवास/  
प्रति दुकान/प्रति भवन प्रस्तुत करता/करती हूँ/करते है। (जो लागू ना हो उसे काट दे)

हस्ताक्षर बोलीदाता

- 5) बिड प्रस्ताव में यदि बिडदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लेख किया जाता है, तो ऐसे सशर्त बिड प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6) बिडदाता द्वारा परिसम्पत्ति की अकों में व शब्दों में प्रस्तुत बिड दर/राशि में अन्तर होने की स्थिति में, शब्दों में उल्लेखित बिड दर/राशि ही मान्य होगी।
- 7) किसी एक अथवा समस्त बिड प्रस्तावों को बिना कारण बतायें, निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है एवं इस संबंध में कोई वाद/विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- 8) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास / निर्मित दुकान / निर्मित भवन "जहाँ है जैसा है" के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे।
- 9) आवासीय भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/व्यावसायिक भूखण्ड/संस्थानिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन का वास्तविक माप एवं स्थिति मौके पर उपलब्ध अनुसार ही अंतिम होगा एवं तदनुसार ही गणना की जावेगी।
- 10) किसी परिसम्पत्ति हेतु प्राप्त मुहरबन्द बोली प्रस्तावों में से अधिक बोलीदाताओं द्वारा समान दर प्रस्तुत करने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थित एक समान बोलीदाताओं से बन्द लिफाफे में उसी समय पुनः दर प्राप्त की जावेगी। जोकि पूर्व में प्रस्तुत दर से कम नहीं होगी। किसी बोलीदाता के मुहरबन्द बिड खोले जाने के समय पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसका दरों के संबंध में किसी प्रकार का वादा मान्य नहीं होगा।
- 11) आवासीय भूखण्ड/निर्मित आवास के लिए लीज मनी की राशि आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक भूखण्ड/निर्मित दुकान के लिए भूमि की आरक्षित दर की 5.0 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- 12) आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत/1024/379 दिनांक 23.9.2013 के अनुसार संस्थानिक आवंटन में लीज राशि आवंटित दर पर ली जावेगी।
- 13) बिड के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल के नियमों/शर्तों में समय-समय पर किये गये संशोधन/संवर्धन मान्य होंगे।
- 14) नीलामी बोली के नियमों/शर्तों एवं अन्य जानकारी मेरे द्वारा संबंधित कार्यालय/मण्डल की वेबसाइट [www.rhbonline.rajasthan.gov.in](http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in) से प्राप्त कर ली गयी है।
- 15) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड एवं संस्थानिक हेतु प्रति वर्गमीटर की दर से बिड प्रस्तुत करने के निर्देशों के विपरीत यदि बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड की एकमुश्त कीमत बिड में भरी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अन्य बोलीदाताओं की दरों से तुलना की दृष्टि से, एकमुश्त कीमत को विज्ञप्ति में दर्शित भूखण्ड के क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रति वर्गमीटर दर निकाली जायेगी।
- 16) खुली बोली न्यूनतम 100/- रुपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी।
- 17) सेवाकर एवं अन्य कर नियमानुसार वसूलनीय होंगे।

## बिडदाता हेतु बिड आवेदन का प्रारूप

Affix latest  
passport size  
photo

- 1) बिडदाता का नाम : .....
- 2) पिता/पति का नाम: .....
- 3) सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति : .....  
(अ0जा0/ज0जा0 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 4) पता : .....  
..... (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 5) पेन नम्बर .....(पेन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 6) दूरभाष .....मोबाईल नम्बर .....
- 7) अमानत राशि एवं परिसम्पत्ति का विवरण:-  
(अ) योजना का नाम : .....सेक्टर : .....  
(ब) आवासीय/ वाणिज्यिक भूखण्ड/ संस्थानिक भूखण्ड/ निर्मित आवास/ निर्मित दुकान/ निर्मित भवन (जो लागू ना हो उसे काट दे)  
संख्या ..... माप .....के लिए न्यूनतम बिड मूल्य अनुसार अमानत राशि रूपये ..... की डी0डी. / बैंकर चैक संख्या .....  
दिनांक ..... जारीकर्ता बैंक का नाम .....संलग्न है।

### नीलामी की शर्तें:-

- 1) प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को न्यूनतम बिड मूल्य का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। तथा राशि रूपये 10.00 करोड़ से अधिक के न्यूनतम बोली मूल्य पर अमानत राशि के रूप में रूपये 50.00 लाख अथवा न्यूनतम बिड मूल्य का 05 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करानी होगी।
- 2) उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घण्टे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसे आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी।
- 3) शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 4) बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि/समय के पश्चात प्राप्त हुये मुहरबन्द बिड प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

## लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण का प्रारूप

1) भूखण्ड का विवरण :

(अ) योजना का नाम : .....सेक्टर:.....

(ब) आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्ड/निर्मित आवास/निर्मित दुकान/निर्मित भवन संख्या .....  
..... (जो लागू ना हो उसे काट दे)

2) बिडदाता का नाम : .....

3) श्रेणी-सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति : .....

4) संलग्न अमानत राशि रूपये : .....डी0डी0/बैंकर चैक संख्या .....  
दिनांक ..... जारीकर्ता बैंक का नाम .....

5) मुहरबन्द बिड खोलने की निर्धारित तिथि : .....

बिडदाता के हस्ताक्षर